

उप०। पत्रावली में शेष प्रतिवादी का  
 जस्टिस रजिस्ट्रार सम्मन तलबना से तलब  
 हो। बाड़ी वकील रजि० तलबना पेश करे।  
 पत्रावली वास्ते जबाब / शेष रजि० तलब  
 दिनांक 21-6-22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
 नीमराणा (अलवर) राज

9-5-22  
 नोट प्रेष  
 श्री. राजेश  
 चारु  
 उ व  
 (Signature)

कागज पत्रावली कोर्ट वकील के  
 प्राप्ति पर पैसा चुकी बाड़ी न कम्प्ले  
 में निवेदन किया है कि इन पत्रावली  
 में बाकी कागजों को चुका है जो काग  
 माफे गयी नमाना न कम्प्ले प्रचार  
 पर प्रामाणिकता के चुका कागजों  
 स्विकार किया गयी क कागजों  
 से ह में कार्रवाई किया जा रहा है।  
 पत्रावली केवल चुका होकर  
 के ह का कागज प्रोर्टे साखिल  
 कम्प्ले हो।

उपखण्ड अधिकारी  
 नीमराणा (अलवर) राज

